

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान रमनलाल सैनी बनाम सरकार जरिये एसएचओ लक्ष्मणगढ़, अलवर

किरम मुकदमा प्रार्थना-पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/97/2025 दायर दिनांक 21.11.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2025	<p>पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा टैम्पू रजि0 संख्या RJ-40-GA-4225 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना लक्ष्मणगढ़ से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 5006 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन लौडींग टाटा टैम्पू रजि0 संख्या RJ-40-GA-4225 को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पुलिस थाना थानाधिकारी बडौदामेव जिला अलवर को जब्तशुदा वाहन टाटा टैम्पू रजि0 संख्या RJ-40-GA-4225 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	